जमानत आदेश की सत्यप्रति

न्यायालयः–सत्र न्यायाधीश,बालोद,जिला–बालोद (छ.ग.)

जमानत आवेदन कं0–504 / 2022

देव कुमार विश्वकर्मा पिता सोनु विश्वकर्मा, उम्र 18 साल,
साकिन वार्ड कं0–22, मछली मार्केट राजहरा,
थाना राजहरा, जिला बालोद (छ0ग0)

.....आवेदक / आरोपी

/ / विरूद्ध / /

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र राजहरा,
जिला बालोद (छ0ग0) .....अनावेदक.

———————————————————————————

/ / आदेश की प्रतिलिपि / /

14.10.2022– आवेदक / आरोपी द्वारा श्री सी0एल0डडसेना अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से श्री प्रशांत पारख लोक अभियोजक।

मुख्य न्यायिक मजि0 बालोद के न्यायालय से संबंधित रिमांड पत्रावली प्राप्त ।

आरक्षी केंद्र राजहरा के अपराध कं0–346 / 22 अंतर्गत धारा–34(2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम की केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त ।

उपस्थित, उभयपक्ष को आवेदक / आरोपी के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा–439 दं0प्र0संहिता पर सुना गया है।

आवेदक / आरोपी के जमानत आवेदन में यह घोषणा की गई है कि यह उसका प्रथम जमानत आवेदन है, अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में न ही लंबित है न ही निराकृत हुआ है । आवेदन के समर्थन में आवेदक की माता श्रीमती अंजू ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया

है।

आवेदक/आरोपी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/आरोपी को पंजीबद्ध अपराध में गिरफतार किया गया है और आवेदक/आरोपी दिनांक–12.10.2022 से अभिरक्षाधीन है। आवेदक/आरोपी को झूठा फंसाया गया है, आवेदक/आरोपी कम उम्र का बालक है,वह दर्शित पते का स्थायी निवासी है और जमानत पर रिहा होने के लिए सक्षम जमानत प्रस्तुत करने एवं समस्त जमानत शर्तो का पालन करने तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान् लोक अभियोजक का यह तर्क है कि आवेदक/आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

आरक्षी केंद्र राजहरा से प्राप्त अपराध कं0–346/22 अंतर्गत धारा–34(2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम की केस डायरी का अवलोकन किया गया ।

अभियोजन की कहानी अनुसार दिनांक–11.10.2022 को शराब परिवहन व विक्रय की मुखबीर की सूचना पर से थाना राजहरा अंतर्गत वार्ड कं0–18 लोडिंग क्वाटर के पास आवेदक/आरोपी द्वारा विक्रय हेतु शराब का परिवहन करना पाया गया तथा आवेदक/आरोपी के कब्जे से थैले में रखे 50 पौव्वा 9.000 बल्क लीटर देशी प्लेन शराब कीमती 4000/–रूपये तथा मोटर साईकिल होण्डा एक्टीवा कं0–सीजी–24–एस–1065 कीमती 15,000/–रूपये को जप्त किया गया है तत्पश्चात्

आवेदक / आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी नालसी अंतर्गत धारा–34(2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम दर्ज की जाकर,थाना राजहरा में अपराध कं0–346 / 2022, अंतर्गत धारा–34(2) छ0 ग0 आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर,आवेदक / आरोपी को दिनांक 11.10.2022 को ही उक्त अपराध में गिरफतार किया गया है,आवेदक / आरोपी दिनांक 12.10.2022 से अभिरक्षाधीन है ।

केस डायरी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया आवेदक / आरोपी के कब्जे से 9.000 बल्क लीटर देशी प्लेन शराब को जप्त किया जाना दर्शित है । माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय के द्वारा बंटी सिंह विरूद्ध छ0ग0 राज्य,एमसीआरसी नं0–6846 / 14,निर्णय दिनांक 05.01. 2015 में धारा–59 (।।) छ0ग0 आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 09 बल्क लीटर शराब की जप्ती के संबंध में उल्लेख करते हुए आबकारी अधिनियम में उल्लेखित निर्धारित 05 बल्क लीटर से अधिक निर्धारित सीमा के संबंध में प्रकरण की परिस्थितियों में अभिरक्षा अवधि को देखते हुए नियमित जमानत का लाभ दिया गया है ।

इस प्रकरण में आवेदक / आरोपी से 9.000 बल्क लीटर देशी प्लेन शराब को जप्त किया गया है । आवेदक / आरोपी दिनांक 12.10.2022 से अभिरक्षाधीन है । आवेदक / आरोपी पर अन्य अपराध पंजीबद्ध होना अथवा पूर्व दोषसिद्धि प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं होती है । मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।

आवेदक / आरोपी बालोद जिले का स्थायी निवासी है। जिससे आवेदक / आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या उसके फरार होने की संभावना भी प्रतीत नहीं होती है । अतः आवेदक / आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः आवेदक / आरोपी देव कुमार विश्वकर्मा की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा–439 दं0प्र0संहिता स्वीकार कर,आदेशित किया जाता है कि आरोपी की ओर से मुख्य न्यायिक मजि0 बालोद की संतुष्टि योग्य 50 हजार रूपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश किये जाने पर आरोपी को निम्न शर्तों पर जमानत पर मुक्त कर दिया जावेः–

(01). आवेदक / आरोपी गवाहों से सम्पर्क का कोई प्रयास नहीं करेगा,

(02). आवेदक / आरोपी मामले की विवेचना / विचारण को विलंबित करने का कोई प्रयास नहीं करेगा,

(03). आवेदक / आरोपी प्रत्येक सुनवाई तिथि को व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित रहेगा,

आदेश की प्रतिलिपि रिमांड पत्रावली सहित मुख्य न्यायिक मजि0 बालोद को पालनार्थ प्रेषित हो ।

आदेश की प्रतिलिपि थाना प्रभारी राजहरा को केस डायरी सहित सूचनार्थ प्रेषित हो ।

आदेश की प्रतिलिपि अतिरिक्त लोक अभियोजक को सूचनार्थ प्रेषित हो ।

परिणाम दर्ज कर अभिलेख जमा हो ।

PRAGYA PACHOURI

Digitally signed by PRAGYA PACHOURI
Date: 2022.10.14 15:39:24 +0530

SJSTENO